2023/170 15/6

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289
ता. पेकी स्टेज

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
111-128	135/23	6/6/23	निर्णित 15/6/23	

अनवान

श्री शम्भूलाल S/o भागचन्द धाकड़ श्री नन्दलाल S/o पन्नालाल धाकड़

निवासी अडोद्या निवासी अडोद्या

R.P.D

अभिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अभिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाम

श्री रामफूल धाकड़ श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 135/23 तारीख 6/6/23

शंभूलाल पुत्र माणकचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. नन्दलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. उकार पुत्र चतुर्भूज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) नाम हटाया गया
03. प्रभु पुत्र मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. घीसालाल पुत्र पृथ्वीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 15/6/23

प्रार्थना पत्र **शंभूलाल पुत्र माणकचन्द जाति धाकड निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 198 पर अंकित आराजी संख्या 493/307 रकबा 10–05 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां खुर्द** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 198 पर अंकित आराजी संख्या 493/307 रकबा 10–05 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 135/23

तारीख 15/6/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....135....../ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

शंभूलाल पुत्र माणकचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थी

बनाम

01. नन्दलाल पुत्र पन्नालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. उकार पुत्र चतुर्भूज जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) नाम हटाया गया
03. प्रभु पुत्र मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. सुरेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. घीसालाल पुत्र पृथ्वीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है **ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 198 पर अंकित आराजी संख्या 493/307 रकबा 10–05 बीघा भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां खुर्द** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा